

Subject: Online implementation of Sugarcane Commercial Crop under NFSM Scheme for the year 2020-21

1. **Section in which Scheme is activated:** प्रदर्शन प्लांट— **Demonstration on Intercropping with Sugarcane**
Scheme Name: NFSM – National Food Security Mission (CC)
2. **Program Name which needs to be activated:**
3. **Demonstration on Intercropping with Sugarcane under NFSM (CC)**
4. **Financial Year:** 2020-21
5. **Start Date:** 01-10-2020
6. **End Date:** 31-10-2020
7. **Total Area Allocated (In Acre):** 1352.5 acres.
8. **Unit (Area Unit):** Acre.
9. **Total Fund Allocated (INR):** Rs. 48.69 lakh
10. **Assistance:** Rs. 3200/- per acre.
11. **Max Area Limit:** 2 Acres
12. **Extend Days (if any optional)**
13. **Guidelines (PDF only):**
 1. गन्ने के साथ मिश्रित फसल उगाने के लिए अधिकतम 3200 रुपये प्रति एकड़ इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
 2. एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ गन्ने की बिजाई के लिए अनुदान दिया जाएगा।
 3. किसान को किसी एक मद के अन्तर्गत ही लाभ दिया जाएगा।
 4. योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।
 5. लाभ गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
 6. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए आप अपने सम्बन्धित गन्ना कृषि विकास अधिकारी/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन प्लाट सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देखरेख में लगाए जाएंगे।
 7. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-10-2020 है।
 8. किसान राज्य में Government/Semi Government/NGO/ Cooperative Societies/ Authorised dealers से कृषि सामग्री CCSHAU Hisar की समग्र सिफारिशों के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 9. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:—
 - (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
 - (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
14. **Notifications (PDF only)**
15. **Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):** Aadhar Card, Voter Card, Mobile Number.
16. **Activation date with time.**
17. **Is there any limit on application coming from farmer side**

ये विवरण एच0के0सी0एल0 को कृषि तथा किसान कल्याण हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.in किसान सुविधा पोर्टल पर लागू करने हेतू जा रहा है।

उक्त मद के लिए सहायक गन्ना विकास अधिकारी-वार भौतिक लक्ष्य, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र व दिशानिर्देश एच0के0सी0एल0 को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in किसान सुविधा पोर्टल पर लागू करने बारे भेजे जाने हैं, जो निम्न प्रकार है:-

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान गन्ना (NFSM (CC-Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में Demonstrations on intercropping with sugarcane मद में प्रदर्शन प्लॉट लगाने हेतु किसानों को इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में 3200 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिए जाएंगे। गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई की जाएगी।

उक्त मद में अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharayana.gov.in में Agri scheme Governance link पर अपना आवेदन दिनांक 31.10.2020 तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान गन्ना स्कीम 2020-21 के तहत Demonstration on intercropping with sugarcane के लिए कृषि सामग्री खरीदने हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र:-	
1	किसान का नाम:-
2	पिता/पति का नाम:-
3	माता का नाम:-
4	श्रेणी (सामान्य/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति):-
5	आधार कार्ड संख्या:-
6	मतदाता पहचान कार्ड संख्या:-
7	पता:- क) गांव:- ग) तहसील:- ड) पिन कोड:-
	ख) खण्ड:- घ) जिला:- च) मोबाईल नं0:-
8	जमीन का विवरण (कुल रकबा)
9	गन्ने की बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):-
10	Demonstration on inter cropping with sugarcane.
11	सह फसल का नाम:-
12	सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय का नाम :-

13	बैंक खाते का विवरण:- (क) बैंक का नाम:- (ख) ब्रांच का नाम:- (ग) खाता संख्या:- (घ) IFSC कोड
----	--

तिथि:-

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

किसान हेतु विशेष दिशा-निर्देश:-

1. गन्ने के साथ मिश्रित फसल उगाने के लिए अधिकतम 3200 रुपये प्रति एकड़ इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
2. एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ गन्ने की बिजाई के लिए अनुदान दिया जाएगा।
3. किसान को किसी एक मद के अन्तर्गत ही लाभ दिया जाएगा।
4. योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।
5. लाभ गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
6. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए आप अपने सम्बन्धित गन्ना कृषि विकास अधिकारी/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन प्लॉट सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देखरेख में लगाए जाएंगे।
7. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-10-2020 है। किसान ऑफलाईन आवेदन करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र संबंधित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) /सहायक गन्ना विकास अधिकारी को 30.11.2020 तक जमा करवा सकते हैं।
8. किसान राज्य में Government/Semi Government/NGO/ Cooperative Societies/Authorized Dealers से कृषि सामग्री CCSHAU Hisar की समग्र सिफारिशों के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
(अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
(ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।

सहायक गन्ना विकास अधिकारीवार व मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार प्रस्तावित है:-

S r. N o.	Name of ACDO's	Demonstration on intercropping and single bud chip technology with sugarcane Rs 9000 per hect. (Rs. 8000 for input& Rs.1000 for contingency	
		Phy. (in acre.)	Fin. (Rs. in lac)
1.	Shahabad	110	3.96
2.	Karnal	84	3.024
3.	Panipat	80	2.88
4.	Sonipat	70	2.52
5	Gohana	84	3.024
6	Jind	70	2.52
7	Kaithal	40	1.44
8	Rohtak	84	3.024
9	Meham	60	2.16
1 0	Bhuna	11	0.396
1 1	Palwal	30	1.08
1 2	Assandh	60	2.16
1 3	Y.Nagar	429	15.444
1 4	Naraingarh	70	2.52
1 5	Bhadson	70.5	2.538
	Total	1352.5	48.69